रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2816] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 2816] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3595(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1448(अ), तारीख 1 जून, 2015 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, राजपत्र की प्रतियां 1 जून, 2015 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया;

पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के यवतमाल और नांदेड जिलों में स्थित है और इसका विस्तार 400.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है ;

और, क्षेत्र में जीव जन्तु और वनस्पति की विविधता अत्यधिक हैं, जो "डेक्कन प्रायद्वीप जोन के 6ख-केंद्रीय पठार" के जैविक प्रान्त का प्रतिनिधित्व करता है और 150 पक्षी प्रजातियों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में वन्य पशुओं जैसे बाघ *(पेंथेरा टिगरिस)*, तेंदुआ *(नियोफेलिस नेबूलोसा)*, रीछ *(मेलूरसस उरसिनस)*, सुंजक *(मुन्टिया कसमुनत्जक)*, लकड़बग्घा *(हयैना)*, अजगर *(पैथोन मोलुरस)*, नीलगाय *(बोसेलाफस ट्रागोकैमलस)*, चीतल *(एक्सिस एक्सिस)*, काला मृग *(एन्टिलोप करविकापरा)*, बनैला सूअर *(सस स्क्रोफा)*, लंगूर *(सेमनोपिथेकस इंटेलस)*, भेड़िया *(कैनिस लुपस पैलिपेस)*, लोमड़ी *(वुल्पेस बेन्गालेन्सिस)*, शाही का आश्रय है ;

और, क्षेत्र का वनस्पति प्रकार दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है तथा वृक्षों की प्रजातियों, जैसे सैग *(टैक्टोना ग्रांडिस)*, रोहन *(सोयमिडा फेबरिफुगा)*, बोसवेलिया सेरेटा, अकेसिया कटेचु, दलबर्गिया सिसू, बेहाडा *(टर्मिनेलिया बलेरिका)*

और धवाडा *(एनोजेसस लेटिफोलिया)*, बिबा सेमेकारपस एनाकारडियम, गुलवेल *(टिनोसपोरा सिनेनसिस)*, अम्मान्निया मल्टीफ्लोरा, चरोली *(बुचानानिया कोचिनचिनेनसिस)*, मोहा *(मधुका लोंगिफोलिया)*, ब्राचिरिया रेमोटा, गुलवेल *(टिनोस्पोरा सिनेलसिस)*, काटे सवार *(बोमबैक्स केइबा)*, समुद्रा फाल *(बार्रिन्गटोनिया अकुटान्गुला)* से सहबद्ध क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजाति सागौन है ;

और, इस अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर तक के क्षेत्र को पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य से एक किलोमीटर तक के विस्तार के साथ 148.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे जोन का सीमा वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, महाराष्ट्र के यवतमाल और पेनगंगा जिलों के 39 ग्रामों तक फैला है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांक के साथ **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र अक्षांश और देशांतर के साथ **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से आंचलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के भी सामन्जस्य से तैयार किया जाएगा ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति से राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश का सिद्धांत, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों का समाकलन करने के लिए संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार से विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना के विकास तथा क्रियाकलापों को और अधिक दक्ष और पारिस्थितिक अनुकूल रुप में क्रमगणित होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान उपासना स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, सं. 17, सं. 23, सं. 32 और सं. 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संन्निमार्ण ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

IndiaCode

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे । जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (समय-समय पर यथासंशोधित), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंधित पर्यटकों के अस्थायी निवास के लिए आवासन के सिवाय पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे ;

परंतु राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के एक किलोमीटर के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निश्चित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में और पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और सुरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

IndiaCode

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा. का. नि. 343 (अ) तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां.-**

(क) विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान लकड़ी आधारित उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए लकड़ी आधारित उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

Indiacode

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	नए लकड़ी आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान लकड़ी आधारित उद्योग विधि के अनुसार जारी कर सकता है।
9.	फर्मों, निगमों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। हालांकि, स्थानीय किसानों द्वारा एक छोटे पैमाने पर पहल की अनुमति है।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

		(ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जाएगा। (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।
12.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों, आदि का अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामलों में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूमिगत-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूमिगत जल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
15.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण।	भूमिगत केबलों की अभिवृद्धि की जाएगी।
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
21.	भूमिगत-जल की निकासी।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
24.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	दुकानदारों द्वारा पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
30.	कृषि पद्धति में कठोर परिवर्तन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	इनमें से कुछ क्रियाकलापों के अत्यधिक विस्तार को, आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जायेगा ।
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश, आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	सामुदायिक प्रकृति भंडार।	सक्रिय रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को बढ़ावा दिया जाएगा ।

IndiaCode

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए तीन वर्ष के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	जिला कलेक्टर, यवतमाल	अध्यक्ष;
(ख)	जिला कलक्टर, नांदेड का प्रतिनिधि	सदस्य;
(ग)	जिला पंचायत, यवतमाल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य;
(घ)	पर्यावरण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि -	सदस्य;
(ङ)	महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ -	सदस्य ;
(च)	महाराष्ट्र राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य-सचिव/सदस्य	सदस्य;
(छ)	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	सदस्य;
(ज)	क्षेत्र का कस्बा योजनाकार अधिकारी, यवतमाल	सदस्य;
	(झ) उप वन संरक्षक, पुसाड वन प्रभाग	सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

IndiaCode

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/52/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

दिशा	से घिरा हुआ
उत्तर	पुषाद प्रभाग- ग्राम भिकनी का वन एवं गैर वन का क्षेत्र 1 किलोमीटर, रामपुर, चकाली, जाम, धामपुर, अमदापुर, नराली। नन्दाद प्रभाग- ग्राम खदरा का वन एवं गैर वन का क्षेत्र 1 किलोमीटर, मारेगाँव, बिलोरी, मातनोरगाँव, सिंद्धागी, मोहापुर
पूर्व	नन्दाद प्रभाग- ग्राम भुलजा का वन एवं गैर वन क्षेत्र का एक किलोमीटर, सिनवारफारा, मनदनपुर, कोहटारी, गोकुंदा, किनवन्न
दक्षिण	पुषाद प्रभाग- ग्राम अकोली का वन एवं गैर वन क्षेत्र का 1 किलोमीटर, मैनपाली, वितरगाँव, पिम्पलगाँव, पेनधा, उदापुर, लिंगी नन्दाद प्रभाग- ग्राम वाल्की नीके का वन एवं गैर वन का क्षेत्र 1 किलोमीटर, पैरोनी, पिम्पादी, भण्डरवाड़ी, कोपरा
पश्चिम	पुषाद प्रभाग- ग्राम निग्रूर का वन एवं गैर वन क्षेत्र का एक किलोमीटर, मेट, खारुस, चिनचौली, तेमभूरदारा

उपाबंध II

पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क. जिला यवतमाल

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तालुका	रेंज	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6
1	तेमबुरदा	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उ 19.37.060	पू 77.54.381
				उ 19.37.00	पू 77.54.086
				उ 19.37.050	पू 77.53.221
				उ 19.36.552	पू 77.53.432
2	खारस. (ख)	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उ 19.35.398	पू 77.52.046
				उ 19.35.743	पू 77.52.304
				उ 19.35.876	पू 77.51.849

IndiaCode

3	पीम्पलगांव	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19.31.530	पू 77.56.585
4	टकोली	उमरखेदा उमरखेदा	उमरखेदा उमरखेदा	उ 19.34.019	पू 77.54.109
				उ 19.33.800	पू 77.52.409
5	मुरली	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19.28.003	पू 77.59.125
6	लिंगी (देवरंगा)	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19.29.002	पू 77.59.005
7	धामापुर	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19.39.635	पू 77.57.102
8	कुराली	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19.39.537	पू 77.56.006
9	नराली	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उ 19.39.36	पू 77.52.17
				उ 19.39.45	पू 77.52.18
				उ 19.40.01	पू 77.52.09
				उ 19.40.25	पू 77.52.18
10	जम्ब	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उमरखेदा उमरखेदा उमरखेदा	उ 19.39.556	पू 77.57.380
				उ 19.39.145	पू 77.57.701
				उ 19.38.832	पू 77.58.274
11	रामपुर (भवानी)	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19.38.830	पू 77.59.453
12	चिनचोली (धानकी)	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19 35 297	पू 77 52 314
13	गनेशवादी	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19 32 377	पू 77 56 406
14	मेट	उमरखेदा	उमरखेदा	उ 19 35 244	पू 77 51 142

ख. जिला नान्देद

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तालुका	रेंज	अक्षांश	देशांतर
1	2	3	4	5	6
1		किनवात	इक्षापुर	उ 19:26:47.977	पू 77:58:54.399
				उ 19:26:44.515	पू 77:58:57.509
				उ 19:26:34.034	पू 77:59:18.921
				उ 19:26:37.437	पू w 77:59:52.534
				उ 19:26:33.432	पू 77:59:37.278
				उ 19:26:33.339	पू 78:00:18.108
2	पारोती	किनवात	इक्षापुर	उ 19:27:08.948	पू 78:01:33.805
				उ 19:27:30.669	पू 78:01:40.281
				उ 19:27:58.195	पू 78:01:37.385

				उ 19:28:36.958	पू 78:01:33.623
				उ 19:28:44.958	पू 78:01:36.352
				उ 19:28:18.180	पू 78:02:00.278
				उ 19:27:56.450	पू 78:02:23.280
				उ 19:27:38.814	पू 78:02:50.184
				उ 19:27:25.645	पू 78:03:03.112
3	रीठा	किनवात	इश्लापुर	उ 19:27:09.186	पू 78:03:25.917
				उ 19:27:01.552	पू 78:03:34.546
				उ 19:26:53.789	पू 78:03:58.878
				उ 19:26:56.115	पू 78:04:22.577
4	भिण्डरवाड़ी	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:27:05.853	पू 78:04:36.680
				उ 19:27:21.124	पू 78:04:46.969
				उ 19:27:32.721	पू 78:04:57.949
				उ 19:27:48.123	पू 78:05:19.838
				उ 19:28:03.744	पू 78:05:42.939
				उ 19:28:16.042	पू 78:05:52.236
5	पीम्पारी	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:28:20.121	पू 78:05:57.832
				उ 19:28:14.939	पू 78:06:41.521
				उ 19:28:26.399	पू 78:07:08.451
				उ 19:28:11.925	पू 78:06:18.536
6	कोपरा	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:28:48.962	पू 78:07:23.406
				उ 19:28:56.049	पू 78:07:25.406
				उ 19:29:14.909	पू 78:07:44.435
				उ 19:29:45.552	पू 78:07:52.460
				उ 19:30:11.635	पू 78:07:57.543
				उ 19:30:24.059	पू 78:08:18.689
				उ 19:30:44.286	पू 78:08:38.460
7	येंदा	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:32:09.608	पू 78:08:30.819
8	पेंदा	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:31:14.250	पू 78:08:45.274
9	पिरदा किड.	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:32:05.234	पू 78:08:59.543

IndiaCode

10	भूल्जा	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:32:08.422	पू 78:09:28.340
				उ 19:32:15.960	पू 78:09:57.422
				उ 19:32:33.844	पू 78:10:22.738
				उ 19:32:42.382	पू 78:10:42.161
11	कारला	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:32:40.562	पू 78:11:06.560
12	मदनापुर	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:33:35.767	पू 78:12:01.260
				उ 19:33:11.084	पू 78:11:53.520
				उ 19:34:06.025	पू 78:12:00.593
13	शनीवारपीठ	किनवात	भोदाड़ी	उ 19:32:47.266	पू 78:11:37.386
				उ 19:33:35.767	पू 78:11:25.966
14	कोठारी	किनवात	किनवात	उ 19:34:27.432	पू 78:11:50.167
				उ 19:34:43.836	पू 78:12:00.969
				उ 19:35:10.343	पू 78:12:09.696
				उ 19:35:40.879	पू 78:12:03.470
15	गोकुन्दा	किनवात	किनवात	उ 19:35:49.540	पू 78:12:08.877,
				उ 19:36:00.935	पू 78:12:16.003,
				उ 19:36:19.929	पू 78:12:19.094,
16	किनवात	किनवात	किनवात	उ 19:36:34.986	पू 78:12:26.741,
				उ 19:37:01.581	पू 78:12:25.556,
				उ 19:37:26.660	पू 78:12:14.439,
				उ 19:37:38.667	पू 78:12:04.400,
				उ 19:37:49.468	पू 78:12:01.121,
				उ 19:38:21.203	पू 78:11:48.859,
17	गोहटी	किनवात	किनवात	उ 19:38:52.527	पू 78:11:31.269,
				उ 19:39:12.570	पू 78:11:19.373,
				उ 19:39:24.396	पू 78:11:03.766
18	खेरदा	किनवात	किनवात	उ 19:39:39.239	पू 78:10:17.707,
				उ 19:39:44.856	पू 78:10:04.456,
				उ 19:39:49.168	पू 78:09:42.968,
19	मेरीगाँव बी. के	किनवात	किनवात	उ 19:39:56.712	पू 78:09:18.849,

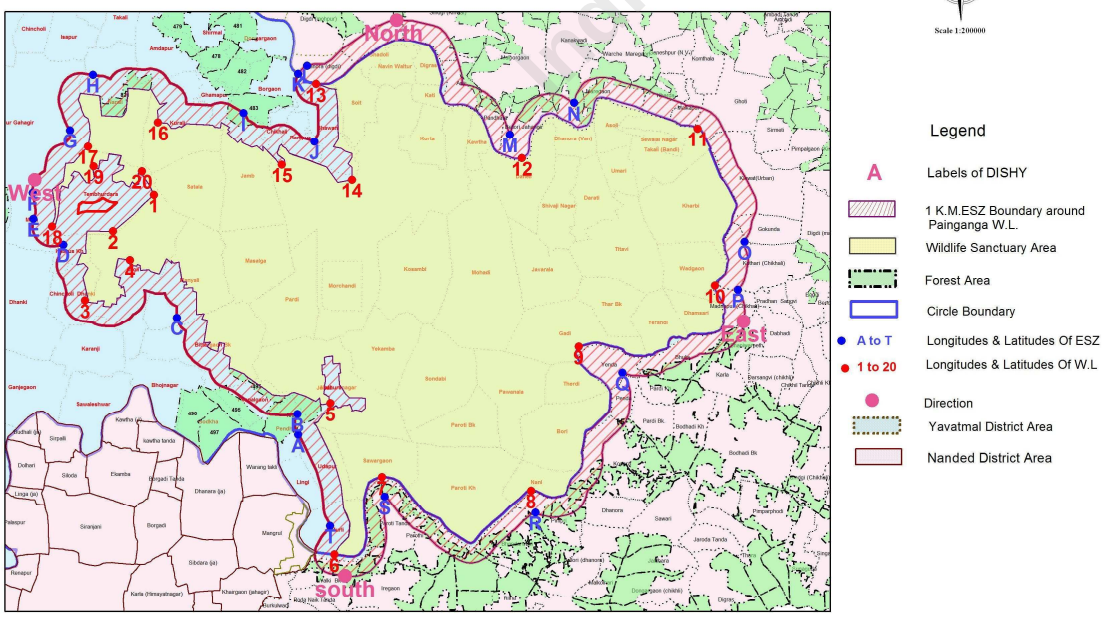
IndiaCode

				उ 19:40:02.665	पू 78:08:53.021,
				उ 19:40:09.696	पू 78:08:34.945,
				उ 19:40:21.214	पू 78:08:01.427,
				उ 19:40:17.150	पू 78:08:20.984,
				उ 19:40:18.171	पू 78:07:42.044,
				उ 19:40:00.921	पू 78:07:22.526,
				उ 19:39:35.786	पू 78:07:13.821,

उपाबंध III

मुख्य अवस्थान के निर्देशांकों के साथ पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

Map Showing Extent of Eco Sensitive zone in Painganga Wildlife Sanctuary in Yavatmal Forest Circle (Maharastra State)



क. पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के जीपीएस निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू77:54:53.705	उ 19:37:13.582
2	पू77:53:43:.717	उ19:36:13.730
3	पू77:52:53.973	उ19:34:18.060

क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
4	पू77:55:38.285	उ19:35:22.705
5	पू77:59:35.315	उ19:31:28.818
6	पू77:59:45.491	उ19:28:48.794
7	पू78:01:15.054	उ19:29:20.231
8	पू78:05:48.510	उ19:28:59.174
9	पू78:07:10.905	उ19:32:52.121
10	पू78:11:20.587	उ19:34:07.571
11	पू78:10:46.232	उ19:38:39.526
12	पू78:05:26.366	उ19:38:12.095
13	पू78:00:09.802	उ19:40:26.375
14	पू78:00:41.394	उ19:37:35.213
15	पू77:58:41.665	उ19:38:03.595
16	पू77:55:02.151	उ19:39:14.254
17	पू77:53:07.029	उ19:39:02.557
18	पू77:52:14.564	उ19:37:29.641
19	पू77:53:08.814	उ19:38:01.981
20	पू77:54:34.796	उ19:37:53.314

ख. पारिस्थितिक संवेदी जोन की दिशाओं के जीपीएस निर्देशांक

दिशाएं	देशांतर	अक्षांश
पूर्व	पू 78:12:03.465	उ 19:33:34.886
पश्चिम	पू 77:51:28:.022	उ19:37:40.010
उत्तर	पू 78:02:02.310	उ19:42:01.206
दक्षिण	पू 78:00:20.970	उ19:26:43.785

ग. पेनगंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के जीपीएस निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
ए	पू77.59.105	उ 19.28.003
बी	पू77.58.152	उ 19.30.524
सी	पू77.54.109	उ 19.34.019

indiacode

क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
डी	पू77.54.381	उ 19.37.060
ई	पू77.52.509	उ 19.37.037
एफ	पू77.51.283	उ 19.37.280
जी	पू77.52.280	उ 19.38.580
एच	पू77.53.280	उ 19.40.636
आई	पू77.56.006	उ 19.39.537
जे	पू77.58.951	उ 19.38.254
के	पू77.59.509	उ 19.40.335
एल	पू77.56.385	उ 19.43.541
एम	पू78.05.210	उ 19.38.437
एन	पू78.07.138	उ 19.39.357
ओ	पू78.12.088	उ 19.35.495
पी	पू78.11.501	उ 19.34.274
क्यू	पू78.08.308	उ 19.32.096
आर	पू78.07.084	उ 19.28.263
एस	पू78.01.363	उ 19.28.449
टी	पू77.58.543	उ 19.26.479

IndiaCode

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख :
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3595(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, by the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number S.O. 1448 (E), dated the 1st June 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas copies of the Gazette were made available to the public on the 1st June 2015;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And Whereas, the Painganga Wildlife Sanctuary is situated in Yavatmal and Nanded Districts of Maharashtra and extends over an area of 400.91square kilometers;

And Whereas, the area has a high Faunal and Floral diversity represents biotic province "6 B-Central Plateau of the Deccan Peninsula Zone" and supports large number of wild animals such as the Tiger *Panthera tigris*, Leopard *Neofelis nebulosa*, Sloth Bear (*Melursus ursinus*, Barking Deer *Muntia cusmuntjak*, Hyaena *Hyaena hyaena*, Python (*Python molurus)*, Nilgai (*Boselaphus tragocamelus)*, Chital (*Axis axis*), Black Buck (*Antilope cervicapra)*, Wild boar (*Sus scrofa)*, Langur (*Semnopithecus entellus)*, Wolf (*Canis lupus pallipes)*, Fox (*Vulpes bengalensis)*, Porcupine besides 150 bird species;

And Whereas, the vegetation type of the area is classified as southern tropical dry deciduous forest and teak is the dominant tree species of the region associated with species such as Sag (*Tectona grandis)*, Rohan (*Soymida febrifuga)*, *Boswellia serrata*, *Acacia catechu*, *Acacia leucophloea Dalbergia sissoo*, Behada *(Terminalia belarica)* and Dhawada *(Anogeissus latifolia);* Biba *Semecarpus anacardium*, Gulwel (*Tinospora sinensis)*, *Ammannia multiflora*, Charoli (*Buchanania cochinchinensis)*, Moha *(Madhuca longifolia)*, *Brachiaria remota*, Gulwel (*Tinospora sinensis)*, Kate Sawar *(Bombax ceiba)*, Samudra Phal (*Barringtonia acutangula*).

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Painganga Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view class of industry and to prohibit industries or and their operation and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, Now Therefore, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub- rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of up to one kilometer from the boundary of Painganga Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Painganga Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 148.86 square kilometres with an extent of up to one kilometer from the boundary of Painganga Wildlife Sanctuary and the boundary description of the such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 39 villages in Yavatmal and Painganga Districts in Mahashtra. The list of the villages with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) Maharashtra State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department;

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 17,23,32 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that State Government shall correct any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Eco-Tourism.-** (a) The activity relating to eco-tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new eco-tourism activities or expansion of existing eco-tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Painganga Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artifacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016, as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste in the Eco-sensitive Zone shall be disposed of as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.- The vehicular movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement the rules and regulations under the relevant Acts and made thereunder.

(12) **Industrial Units**.-

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.N.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption.

		(b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporates, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. However, initiatives on a small-scale by the local farmers are permitted.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction

		activities and construction and augmentation of civic amenities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the Sanctuary area by aircraft, hot-air balloons, etc.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources. including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, as per applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Extraction of ground water.	Regulated as per applicable laws.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.

25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per applicable laws.
27.	Noise pollution.	Regulated as per applicable laws.
28.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
29.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated as per applicable laws.
30.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per applicable laws.
Promoted Activities		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per, master plan.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc to be promoted
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
40.	Community Nature Reserves.	Shall be actively promoted in conformity with MOEF&CC and National Tiger Conservation Authority Guidelines.

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, Yavatmal - Chairman;

(b) representative of District Collector, Nanded - Member;

(c) Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Yavatmal - Member

(d) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra– Member;

(e) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra - Member;

(f) Member-Secretary/Member of the Maharashtra State Biodiversity Board – Member;

(f) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member;

(g) Town Planning Officer Yavatmal- Member;

(h) Deputy Conservator of Forests, Pusad Forest Division –Member Secretary

6. Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September,

2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/52/2014-ESZ-RE]

Dr. T.CHANDINI , Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundaries of proposed ESZ of Painganga Wildlife Sanctuary

Direction	Bounded by
North	**Pusad Division –** 1.00 km Forest & Non Forest Area of Village Bhawani, Rampur, Chakali, Jam, Ghamapur, Amdapur, Narali. **Nanded Division –** 1.00 km Forest & Non Forest Area of Village Kharda, Maregaon, Belori, Malborgaon, Sindhagi, Mohapur.
East	**Nanded Division –** 1.00 km Forest & Non Forest Area of Village Bhulja, Shinwarphate, Mandanapur, Khotari, Gokunda, Kinwant.
South	**Pusad Division –** 1.00 km Forest & Non Forest Area of Village Akoli, Manyali, Bittargaon, Pimpalgaon, Pendha, Udapur, Lingi. **Nanded Division –** 1.00 km Forest & Non Forest Area of Village Walki bk., Paroti, Rita, Pimpri, Bhandarwadi, Kopra.
West	**Pusad Division –** 1.00 km Forest & Non Forest Area of Village Nignoor, Met, Kharus, Chincholi, Temburdara.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone of Painganga Wildlife Sanctuary

A. District Yavatmal

Sr. No.	Name of Village	Taluka	Range	Latitude	Longitude
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Temburdara	Umarkhed	Umarkhed	N 19.37.060	E 77.54.381
				N 19.37.00	E 77.54.086
				N 19.37.050	E 77.53.221
				N 19.36.552	E 77.53.432
2	Kharus (Kh.)	Umarkhed	Umarkhed	N 19.35.398	E 77.52.046
				N 19.35.743	E 77.52.304
				N 19.35.876	E 77.51.849
3	Pimplgaon	Umarkhed	Umarkhed	N 19.31.530	E 77.56.585
4	Akoli	Umarkhed	Umarkhed	N 19.34.019	E 77.54.109
				N 19.33.800	E 77.52.409
5	Murli	Umarkhed	Umarkhed	N 19.28.003	E 77.59.125
6	Lingi (Devranga)	Umarkhed	Umarkhed	N 19.29.002	E 77.59.005
7	Ghamapur	Umarkhed	Umarkhed	N 19.39.635	E 77.57.102
8	Kurali	Umarkhed	Umarkhed	N 19.39.537	E 77.56.006
9	Narali	Umarkhed	Umarkhed	N 19.39.36	E 77.52.17
				N 19.39.45	E 77.52.18
				N 19.40.01	E 77.52.09
				N 19.40.25	E 77.52.18
10	Jamb	Umarkhed	Umarkhed	N 19.39.556	E 77.57.380
				N 19.39.145	E 77.57.701
				N 19.38.832	E 77.58.274
11	Rampur (Bhawani)	Umarkhed	Umarkhed	N 19.38.830	E 77.59.453
12	Chincholi (Dhanki)	Umarkhed	Umarkhed	N 19 35 297	E 77 52 314
13	Ganeshwadi	Umarkhed	Umarkhed	N 19 32 377	E 77 56 406
14	Met	Umarkhed	Umarkhed	N 19 35 244	E 77 51 142

B. District Nanded

Sr.No.	Name of Village	Taluka	Range	Latitude	Longitude
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Kinwat	Islapur	N 19:26:47.977	E 77:58:54.399
				N 19:26:44.515	E 77:58:57.509
				N 19:26:34.034	E 77:59:18.921
				N 19:26:37.437	E 77:59:52.534
				N 19:26:33.432	E 77:59:37.278

				N 19:26:33.339	E 78:00:18.108
2	Paroti	Kinwat	Islapur	N 19:27:08.948	E 78:01:33.805
				N 19:27:30.669	E 78:01:40.281
				N 19:27:58.195	E 78:01:37.385
				N19:28:36.958	E 78:01:33.623
				N19:28:44.958	E 78:01:36.352
				N 19:28:18.180	E 78:02:00.278
				N 19:27:56.450	E 78:02:23.280
				N 19:27:38.814	E 78:02:50.184
				N 19:27:25.645	E 78:03:03.112
3	Ritha	Kinwat	Islapur	N 19:27:09.186	E 78:03:25.917
				N 19:27:01.552	E 78:03:34.546
				N 19:26:53.789	E 78:03:58.878
				N 19:26:56.115	E 78:04:22.577
4	Bhandarwadi	Kinwat	Bhodhadi	N 19:27:05.853	E 78:04:36.680
				N 19:27:21.124	E 78:04:46.969
				N 19:27:32.721	E 78:04:57.949
				N 19:27:48.123	E 78:05:19.838
				N 19:28:03.744	E 78:05:42.939
				N 19:28:16.042	E 78:05:52.236
5	Pimpri	Kinwat	Bhodhadi	N 19:28:20.121	E 78:05:57.832
				N 19:28:14.939	E 78:06:41.521
				N 19:28:26.399	E 78:07:08.451
				N 19:28:11.925	E 78:06:18.536
6	Kopra	Kinwat	Bhodhadi	N 19:28:48.962	E 78:07:23.406
				N 19:28:56.049	E 78:07:25.406
				N 19:29:14.909	E 78:07:44.435
				N 19:29:45.552	E 78:07:52.460
				N 19:30:11.635	E 78:07:57.543
				N 19:30:24.059	E 78:08:18.689
				N 19:30:44.286	E 78:08:38.460
7	Yenda	Kinwat	Bhodhadi	N 19:32:09.608	E 78:08:30.819
8	Penda	Kinwat	Bhodhadi	N 19:31:14.250	E 78:08:45.274
9	Pardi Kd.	Kinwat	Bhodhadi	N 19:32:05.234	E 78:08:59.543
10	Bhulja	Kinwat	Bhodhadi	N 19:32:08.422	E 78:09:28.340

IndiaCode

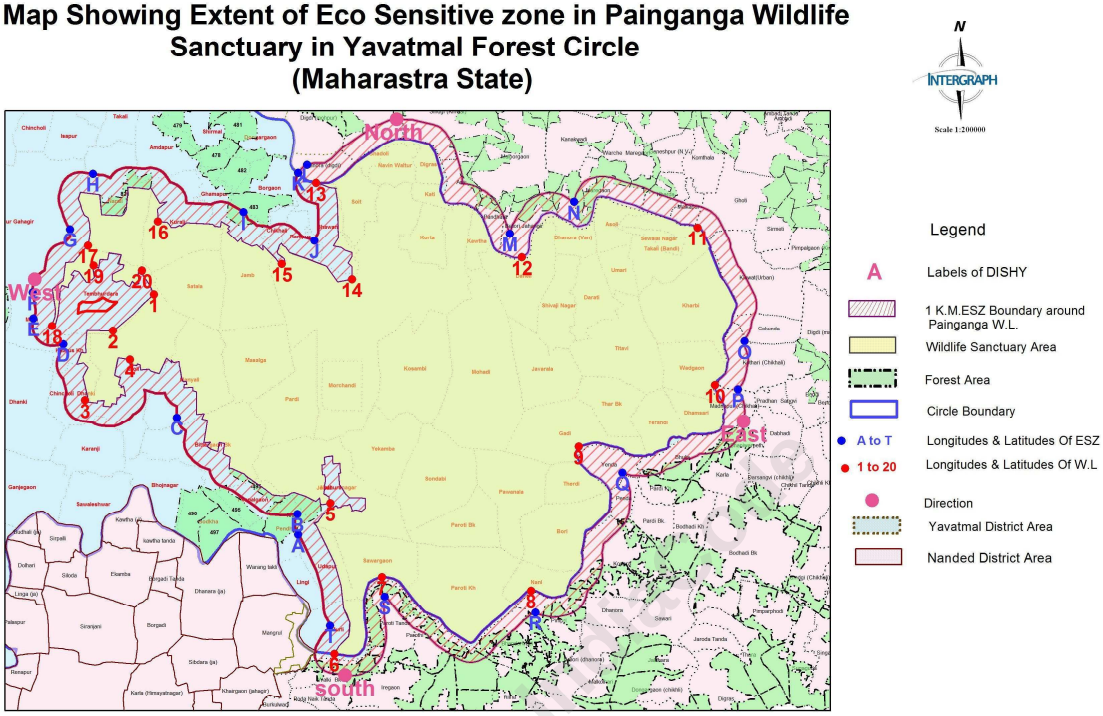
				N 19:32:15.960	E 78:09:57.422
				N 19:32:33.844	E 78:10:22.738
				N 19:32:42.382	E 78:10:42.161
11	Karla	Kinwat	Bhodhadi	N 19:32:40.562	E 78:11:06.560
12	Madnapur	Kinwat	Bhodhadi	N 19:33:35.767	E 78:12:01.260
				N 19:33:11.084	E 78:11:53.520
				N 19:34:06.025	E 78:12:00.593
13	Shaniwarpeth	Kinwat	Bhodhadi	N 19:32:47.266	E 78:11:37.386
				N 19:33:35.767	E 78:11:25.966
14	Kothari	Kinwat	Kinwat	N 19:34:27.432	E 78:11:50.167
				N 19:34:43.836	E 78:12:00.969
				N 19:35:10.343	E 78:12:09.696
				N 19:35:40.879	E 78:12:03.470
15	Gokunda	Kinwat	Kinwat	N 19:35:49.540	E 78:12:08.877,
				N 19:36:00.935	E 78:12:16.003,
				N 19:36:19.929	E 78:12:19.094,
16	Kinwat	Kinwat	Kinwat	N 19:36:34.986	E 78:12:26.741,
				N 19:37:01.581	E 78:12:25.556,
				N 19:37:26.660	E 78:12:14.439,
				N 19:37:38.667	E 78:12:04.400,
				N 19:37:49.468	E 78:12:01.121,
				N 19:38:21.203	E 78:11:48.859,
17	Ghoti	Kinwat	Kinwat	N 19:38:52.527	E 78:11:31.269,
				N 19:39:12.570	E 78:11:19.373,
				N 19:39:24.396	E 78:11:03.766
18	Kherda	Kinwat	Kinwat	N 19:39:39.239	E 78:10:17.707,
				N 19:39:44.856	E 78:10:04.456,
				N 19:39:49.168	E 78:09:42.968,
19	Maregaon Bk.	Kinwat	Kinwat	N 19:39:56.712	E 78:09:18.849,
				N 19:40:02.665	E 78:08:53.021,
				N 19:40:09.696	E 78:08:34.945,
				N 19:40:21.214	E 78:08:01.427,
				N 19:40:17.150	E 78:08:20.984,
				N 19:40:18.171	E 78:07:42.044,
				N 19:40:00.921	E 78:07:22.526,
				N 19:39:35.786	E 78:07:13.821,

IndiaCode

Annexure III

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates of Prominent Locations of Painganga Wildlife Sanctuary

Map Showing Extent of Eco Sensitive zone in Painganga Wildlife Sanctuary in Yavatmal Forest Circle (Maharastra State)



A. **GPS Coordinates of Prominent Locations of Painganga Wildlife Sanctuary**

No.	Longitude	Lattitude
1	E77:54:53.705	N 19:37:13.582
2	E77:53:43:.717	N19:36:13.730
3	E77:52:53.973	N19:34:18.060
4	E77:55:38.285	N19:35:22.705
5	E77:59:35.315	N19:31:28.818
6	E77:59:45.491	N19:28:48.794
7	E78:01:15.054	N19:29:20.231
8	E78:05:48.510	N19:28:59.174
9	E78:07:10.905	N19:32:52.121
10	E78:11:20.587	N19:34:07.571
11	E78:10:46.232	N19:38:39.526
12	E78:05:26.366	N19:38:12.095
13	E78:00:09.802	N19:40:26.375

No.	Longitude	Lattitude
14	E78:00:41.394	N19:37:35.213
15	E77:58:41.665	N19:38:03.595
16	E77:55:02.151	N19:39:14.254
17	E77:53:07.029	N19:39:02.557
18	E77:52:14.564	N19:37:29.641
19	E77:53:08.814	N19:38:01.981
20	E77:54:34.796	N19:37:53.314

B. GPS co-ordinates as per Directions of Eco-sensitive Zone

Directions	Longitude	Lattitude
East	E78:12:03.465	N 19:33:34.886
West	E77:51:28:.022	N19:37:40.010
North	E78:02:02.310	N19:42:01.206
South	E78:00:20.970	N19:26:43.785

C. GPS Coordinates of Prominent Locations of Eco-sensitive Zone of Painganga Wildlife Sanctuary

No.	Longitude	Lattitude
A	E77.59.105	N 19.28.003
B	E77.58.152	N 19.30.524
C	E77.54.109	N 19.34.019
D	E77.54.381	N 19.37.060
E	E77.52.509	N 19.37.037
F	E77.51.283	N 19.37.280
G	E77.52.280	N 19.38.580
H	E77.53.280	N 19.40.636
I	E77.56.006	N 19.39.537
J	E77.58.951	N 19.38.254
K	E77.59.509	N 19.40.335
L	E77.56.385	N 19.43.541
M	E78.05.210	N 19.38.437
N	E78.07.138	N 19.39.357
O	E78.12.088	N 19.35.495
P	E78.11.501	N 19.34.274
Q	E78.08.308	N 19.32.096

No.	Longitude	Lattitude
R	E78.07.084	N 19.28.263
S	E78.01.363	N 19.28.449
T	E77.58.543	N 19.26.479

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report:- Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.12.03 12:08:26 +05'30'